विवरणिका
2023-24

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रुड़की (हरिद्वार) उत्तराखण्ड

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से समबद्ध

नैक प्रत्यायित CGPA 2.77, B^{++} ग्रेड

Ms. Vailshali

PROSPECTUS

S.S.D.P.C. GIRLS (PG) COLLEGE
Roorkee (Haridwar) Uttarakhand

(Approved Under Section 2f &12B of UGC Act 1956)
NAAC Accredited 'B^{++}' Grade

विवरणिका
(2023–24)

(नियम एवं अन्य जानकारी)

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल

टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध

(यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 2f एवम् 12b के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त)
नैक प्रत्यायित CGPA 2.77, B^{++} ग्रेड

☎ : 01332-262705

Website : www.ssdpcroorkee.org
Email address : ssd.degree@gmail.com

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	नैक प्रत्यायन सर्टिफिकेट	**3**
2.	संक्षिप्त परिचय	**4**
3.	गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ	**5**
4.	महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं सीटों का विवरण	**6**
5.	विविध पाठ्यक्रमों हेतु दिशा–निर्देश (श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय)	**7–17**
6.	प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश	**18–22**
7.	शुल्क विवरण	**23–24**
8.	महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ	**25**
9.	छात्राओं हेतु सामान्य नियम, उपस्थिति नियम एवं आचार संहिता	**26–29**
10.	अभिभावक कृपया ध्यान दें	**30**
11.	पाठयेत्तर विकासोन्मुखी गतिविधियाँ	**31–33**
12.	शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर वर्ग	**34**
13.	विभिन्न समितियाँ एवं प्रभारी	**35**
14.	शपथ पत्र प्रारूप	**36**

लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार
महाविद्यालय के सूचना अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी	–	डा0 अनुपमा गर्ग प्राचार्या : 01332 – 262705
सहायक लोक सूचना अधिकारी	–	डॉ० अलका आर्य
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी	–	सचिव, प्रबन्ध समिति

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
is pleased to declare
Sri Sanatan Dharam Prakash Chand
Kanya Snatkottar Mahavidyalaya
Roorkee, Dist. Haridwar,
affiliated to Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand as
Accredited
with CGPA of 2.77 on four point scale
at B++ grade
valid up to April 18, 2027

Date : April 19, 2022

Director

EC(SC)/102/2nd Cycle/UKCOGN16668

संक्षिप्त परिचय

मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सुप्त प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा का उद्‌घाटन समाज की उन्नति, राष्ट्र की सुरक्षा व अभिवृद्धि का नाम है शिक्षा। शिक्षा साक्षरता का पर्याय नहीं, शिक्षा कुछ जानकारियों का संग्रह नहीं, शिक्षा केवल उपाधियों–पदवियों का वितरण अथवा एकीकरण नहीं अपितु वह तो कर्म कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि का पर्याय है, वह तो करणीय–अकरणीय का बोध है, चरित्र बल का सोपान है तथा जीवन जीने की कला का ज्ञान है।

शिक्षा की इस असाधारण महिमा–गरिमा को पहचानकर ही श्री सनातन धर्म रक्षिणी सभा ने 1940 में रुड़की में सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की। 1951 में हाई स्कूल और माध्यमिक कक्षाओं की मान्यता प्राप्त करके तथा 1966 में 7 विषयों में स्नातक कक्षाओं को आरम्भ कर रुड़की नगर के इस कन्या महाविद्यालय ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विगत दो दशकों में इस महाविद्यालय ने सफलता के उच्चतम शिखरों को स्पर्श किया है। छात्रायें वैज्ञानिक प्रगति के साथ–साथ चल सकें तथा परिवर्तनशील वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकें, इस हेतु वर्ष 1998 से महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग की कक्षायें भी प्रारम्भ की गयी। विज्ञान के अध्ययन के लिए भवन व व्याख्यान–कक्षों व प्रयोगशालाओं की उचित व्यवस्था है। विज्ञान संकाय में छात्राओं के व्यक्तिगत विकास को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण सत्र शिक्षण के साथ–साथ सेमिनार, परियोजना कार्य, शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ, विशिष्ट व्याख्यान, स्मृति व्याख्यान, कार्यशालायें, एड ऑन कोर्स नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं। कला वर्ग के साथ–साथ विज्ञान वर्ग की शिक्षिकायें भी मानक के अनुरूप उच्च शिक्षित हैं। छात्राओं की सुविधा हेतु महाविद्यालय में सत्र 2006–07 से चित्रकला एवं राजनीति शास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं।

महाविद्यालय की छात्राओं का परीक्षा परिणाम गत वर्षों में उत्कृष्ट (95%) रहा है। वे जहाँ सर्वाधिक अंकों के कारण विश्वविद्यालय में निरन्तर अपना स्थान बनाती रही हैं वहीं शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भी जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर अनेक उपलब्धियाँ अर्जित कर रही हैं। श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या महाविद्यालय पठन–पाठन के स्तर को और ऊँचा उठाने, इसके अनुशासन को अनुकरणीय बनाने के साथ–साथ छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

आधार स्तम्भ

स्व० श्री कृष्ण चंद जी

4.3.1926 - 6.1.2015
कार्यकाल : 1967 से 2012
अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति

स्व० श्री विश्वेश्वर दयाल जी

कार्यकाल : महाविद्यालय स्थापना से वर्ष 1987 तक
सचिव, प्रबन्ध समिति

स्व० श्री नरेन्द्र कुमार सिंघल

17.8.1942 - 31.5.2012
कार्यकाल : 1987 से मई 2012 तक
सचिव, प्रबन्ध समिति

स्व० श्री रूप चन्द शर्मा

24.10.1924 - 14.3.2009
कार्यकाल : 1966 से प्रबंध समिति के सक्रिय संस्थापक सदस्य वर्ष 1987 से 2009 तक नव सृजित **कोषाध्यक्ष** पद पर कार्यरत

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुड़की

नवोत्थान की प्रणेताः वर्तमान प्रबंध समिति

श्री अजय कुमार गर्ग अध्यक्ष, व्यापारिक परिवार से सम्बन्धित, 01.07.2012 से प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष निर्वाचित, कुशल प्रशासक एवं अनुशासन प्रिय।

श्री दिनेश गुप्ता उपाध्यक्ष, जून 2003 से मई 2008 तक उपसचिव रहे, जून 2008 से उपाध्यक्ष पद पर आसीन, मृदुभाषी सरल स्वभाव, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु सदैव तत्पर।

श्री सौरभ भूषण कोषाध्यक्ष, जून 2004 से कोषाध्यक्ष के पद पर आसीन, सरल स्वभाव एवं अनुशासन प्रिय युवा कोषाध्यक्ष महाविद्यालय के विकास के साथ ही वह अन्य शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों में रहते हुये सामाजिक हितों में कार्य कर रहे हैं।

श्री गोपाल गुप्ता उप-सचिव, जून 2008 से उपसचिव के रूप में निर्वाचित हुए। प्रबन्धसमिति को इनका सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा है।

श्री अरविन्द गुप्ता सदस्य, मार्च 1997 से सदस्य कार्यकारिणी, व्यावसायिक पृष्ठभूमि, कुशल प्रशासक, अनुशासन प्रिय।

श्री योगेश सिंघल, सदस्य जौलाई 2016 से सदस्य प्रबन्धसमिति के रूप में महाविद्यालय के विकास सक्रिय योगदान दे रहे है और नगर की कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं।

श्री सुशील गर्ग सदस्य, जून 2012 से सदस्य प्रबन्धसमिति के रूप में निर्वाचित हुए। संरक्षक सदस्य के नाते विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं।

श्री ईश्वर दयाल, अक्टूबर 2020 से सदस्य प्रबन्ध समिति के रूप में निर्वाचित हुए। सरल स्वभाव आधुनिक सोच के धनी हो के साथ ही समाज के कल्याण में निरंतर सक्रिय।

(डा०) प्रो० अनुपमा गर्ग – प्राचार्या
(डा०) प्रो० अलका आर्य – शिक्षक प्रतिनिधि
डा० कामना जैन – शिक्षक प्रतिनिधि

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुड़की

SMT. ANJALI PRASAD
R.T.I.
PUB INFO OFF - DR.ARCHANA
DY PUB INFO OFF - DR. ALKA
APP AUTH - SH.AJAY GARG

वार्षिक पत्रिका 'अपराजिता' विमोचन

'मोहन से महात्मा तक का सफर'
गाँधी स्मृति दीर्घा

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुड़की

ROORKEE HARIDWAR (UTTARAKHAND)
Affiliated to H.N.B. Garhwal Central University, Srinagar Uttarakhand
II Cycle of Assessment and Accreditation By NAAC
Welcome to
NAAC PEER TEAM

GIRLS (PG) COLLEGE
HARIDWAR (UTTARAKHAND)

S.S.D.P.C GIRLS (PG) COLLEGE
ROORKEE HARIDWAR (UTTARAKHAND)
Affiliated to H.N.B. Garhwal Central University, Srinagar Uttarakhand
Welcome to
NAAC PEER TEAM

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुड़की

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुड़की

महाविद्यालय की गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ
विश्वविद्यालय मेरिटलिस्ट में स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएँ

क्र.सं.	नाम	कक्षा	वर्ष	अंक प्रतिशत	विश्वविद्यालय मेरिट लिस्ट में स्थान
1.	कु० प्राची सिंह	एम०ए० चित्रकला	2020	8.83 CGPA	**प्रथम (स्वर्ण पदक)**
2.	कु० वैशाली	एम०ए० चित्रकला	2019	8.8 CGPA	**प्रथम (स्वर्ण पदक)**
3.	कु० कामिनी	एम०ए० चित्रकला	2018	84.3	**प्रथम (स्वर्ण पदक)**
4.	कु० चन्दा	एम०ए० चित्रकला	2017	87.2	**प्रथम (स्वर्ण पदक)**
5.	कु० सायरा	एम०ए० राज० विज्ञान	2017	87.1	**प्रथम (स्वर्ण पदक)**
6.	कु० दीपमाला	एम० ए० चित्रकला	2017	86.5	द्वितीय
7.	कु० निशा	एम०ए० चित्रकला	2017	82.8	पंचम
8.	कु० रितु गोस्वामी	बी०एससी०	2017	77.94	दशम
9.	कु० छाया त्यागी	बी०ए०	2016	78.00	प्रथम **(स्वर्ण पदक)**
10.	कु० रीतू रानी	बी०ए०	2016	76.00	तृतीय
11.	कु० अर्चना देवी	एम०ए० चित्रकला	2016	85.97	प्रथम **(स्वर्ण पदक)**
12.	कु० आंचल कुमारी	एम०ए० चित्रकला	2016	84.50	तृतीय
13.	कु० शिल्पा राय	बी०एससी०	2016	81.33	पंचम
14.	कु० मीनाक्षी त्यागी	एम०ए० राज०विज्ञान	2014	73.00	चतुर्थ
15.	कु० परवीन	एम०ए० राज०विज्ञान	2013	73.67	द्वितीय
16.	कु० मीनाक्षी	एम०ए० चित्रकला	2013	86.00	द्वितीय
17.	कु० दिव्या	एम०ए० चित्रकला	2013	85.71	तृतीय
18.	कु० शिवानी	एम०ए० चित्रकला	2013	85.13	चतुर्थ
19.	कु० प्रिया प्रधान	एम०ए० चित्रकला	2012	80.80	द्वितीय
20.	कु० अन्जुम आरा	एम०ए० चित्रकला	2012	79.30	चतुर्थ
21.	कु० ललिता देवी	एम०ए० चित्रकला	2012	79.10	पंचम
22.	कु० निभा राठी	एम०ए० राज०विज्ञान	2011	68.78	प्रथम **(स्वर्ण पदक)**
23.	कु० प्रीति रानी	एम०ए० चित्रकला	2011	77.60	द्वितीय
24.	कु० शिवानी सैनी	एम०ए० चित्रकला	2010	83.60	प्रथम **(स्वर्ण पदक)**
25.	कु० मीनाक्षी सिन्धु	एम०ए० चित्रकला	2010	80.10	द्वितीय
26.	कु० उपासना	एम०ए० चित्रकला	2010	77.30	चतुर्थ
27.	कु० प्रीति शर्मा	बी०एससी०	2009	79.78	प्रथम **(स्वर्ण पदक)**
28.	कु० चीनू त्यागी	एम०ए० चित्रकला	2009	79.10	द्वितीय
29.	कु० शिखा कैंथ	एम०ए० चित्रकला	2009	77.50	पंचम
30.	कु० शकुन सिंह	एम०ए० चित्रकला	2008	83.63	प्रथम **(स्वर्ण पदक)**
31.	कु० नीतू	एम०ए० चित्रकला	2008	81.63	तृतीय
32.	कु० मोनिका पंवार	बी०एससी०	2007	79.89	द्वितीय

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम (सेमेस्टर प्रणाली) तथा सीटें:-

	उपाधि	पाठ्यविषय	उपलब्ध सीटें
नियमित कोर्स	बी0ए0	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, चित्रकला, राजनीतिविज्ञान, अर्थशास्त्र	240
स्ववित्तपोषित कोर्स	बी0एससी0–गणित	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित	60
	बी0एससी0–कम्प्यूटर साइंस	भौतिक विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित	30
	बी0एससी0–जीव विज्ञान	वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान	60
	बी0एससी0–माइक्रोबायोलॉजी	वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान	30
	एम0ए0– चित्रकला	चित्रकला	30
	एम0ए0–राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान	30

बी०ए० पाठ्य विषयों के अन्तर्गत सीट विवरण

क्र०सं०	विषय	उपलब्ध सीटें
1.	हिन्दी	120
2.	अंग्रेजी	120
3.	राजनीति विज्ञान	120
4.	समाजशास्त्र	120
5.	चित्रकला	120
6.	अर्थशास्त्र	60
7.	संस्कृत	60

नोट :

- सत्र 2022–23 से स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के अनुसार संचालित हो रहे हैं एवं नवीन प्रवेशार्थियों को इसी विश्वविद्यालय की डिग्री दी जायेगी।
- सत्र 2022–23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक स्तर से पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।
- प्रत्येक विषय में उपलब्ध सीटों के आधार पर ही विषय आवंटित किए जायेंगे।
- छात्राओं को पाठ्यग्म विषयक विस्तृत सूचना सत्रारंभ में ओरियेंटेशन प्रोग्राम व कक्षाओं में दी जायेगी।

विविध पाठ्यक्रमों हेतु दिशा-निर्देश

(श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी, उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय)

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2022–23 से लागू करने हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1196/XXIV-C-4/2021–01(06)/2019, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के परिसर एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालयों हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित प्रारूप पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2022–23 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश एवं अन्य संबंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में दिशा–निर्देश प्रस्तावित किए जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस दिशा–निर्देश का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

विश्वविद्यालय परिसर तथा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे :

1.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. आदि) में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

1.2 स्नातक (शोध सहित) बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. आदि एवं स्नातक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

1.3 बी.ए. आनर्स, बी.एससी. आनर्स, बी.कॉम. आनर्स इत्यादि एवं अन्य एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

1.4 स्नातक/स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2021–22 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे अर्थात पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर यह दिशा–निर्देश प्रभावी नहीं होंगे। महाविद्यालयों में पूर्व से संचालित स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति तथा परिसर में संचालित सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्यापन और परीक्षा पूर्ववत् ही संपादित होगी।

1.5 पीएच.डी. कार्यक्रमों में नवीन व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024–25 से लागू होगी।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय वर्ग/संकाय के लिए पूर्व पात्रता (Pre-requisite)

विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के योग्य होगा।

वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय अथवा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के योग्य होगा।

व्यवसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के योग्य होगा।

मुख्य (Major) विषय तथा गौण चयनित (Minor Elective) पेपर

3.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (Major) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own faculty) कहलायेगा, जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

3.2 तीसरे मुख्य (Major) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

3.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

3.4 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

3.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

3.6 मेजर/माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

3.7 बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन विषयों के अतिरिक्त) लेना होगा।

3.8 तीसरे मुख्य (मेजर) इलेक्टिव विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो।

2. पाठ्यक्रम

स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।

तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) विषय, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा पर उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार परक पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी। विद्यार्थी निकास के पश्चात अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा किंतु प्रवेश लेने पर उसे अपना सर्टिफिकेट/डिप्लोमा विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। साथ ही पूर्व पात्रता के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध होगी।

विद्यार्थी संकाय में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसे स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की उपाधि दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिसमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी।

3. प्रवेश

सर्वप्रथम विद्यार्थी परिसर/महाविद्यालय में अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश पर ही करेगा। परिसर/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर विद्यार्थी को संबंधित संकाय में प्रवेश दे सकेंगे। प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे।

किसी संस्था में एक ही संकाय की स्थिति में अथवा संस्थान के स्तर पर अपने संस्थान के अन्य विभाग से लिया जा सकता है। माइनर इलेक्टिव कोर्स ऑनलाइन माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है

3.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

3.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आबंटित कर सकता है। तृतीय, पांचवे एवं छठवे वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

3.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है।

3.12 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जायेगा। चुने गये माइनर विषय/पेपर की कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

4. पाठ्यक्रमों हेतु विषय संयोजन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित कला संकाय के विषयों को तीन समूहों (समूह अ, समूह ब तथा समूह स) में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश निम्नवत् प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रारम्भिक रूप से यह नियम सत्र 2022–23 हेतु प्रभावी होंगे। आगामी सत्रों से इन नियमों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। नियम परिवर्तन की दिशा में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

समूह अ	समूह ब	समूह स
Hindi	Drawing and Painting	Economics
English	Home Science	History
Sanskrit	Education	Political Science
	Geography	Philosphy
	Music	Sociology
	Psychology	
	Military & Defence Studies	
	Anthroplogy	

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन प्रमुख/मेजर (02 कोर व एक 01 इलेक्टिव) विषयों का चयन कर सकता है। सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।

किसी एक ही समूह के दो मेजर कोर लेने के पश्चात् मेजर इलेक्टिव अन्य समूह या अन्य संकाय से लिया जायेगा। विद्यार्थी किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन मेजर कोर के रूप में कर सकता है। किसी एक समूह से तीन प्रमुख/मेजर विषयों का चयन नहीं किया जाएगा। अतः विद्यार्थी दो से अधिक भाषा/साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा व दो से अधिक प्रयोगात्मक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा।

विज्ञान संकाय –

समान प्रक्रिया विज्ञान संकाय के विषयों के संदर्भ में भी अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विज्ञान संकाय के विषयों को तीन समूहों में विभाजित करते हुए विज्ञान संकाय में दो कोर प्रमुख / मेजर विषय का चयन समूह अ / समूह ब / समूह स से किया जा सकता है। 02 मेजर कोर विषय का चयन एक ही समूह से करने के पश्चात् मेजर इलेक्टिव का चयन अन्य संकाय या अन्य समूह से किया जाएगा। इस प्रकार एक ही समूह से दो मेजर कोर व एक मेजर इलेक्टिव का चयन नहीं किया जा सकता।

समूह अ	समूह ब	समूह स
Physics	Botany	Chemistry
Mathematics	Zoology	Geology
	Microbiology	Statistics
	Biotechnology	Computer Science

वाणिज्य संकाय –

वाणिज्य संकाय के विषयों को तीन समूह में विभाजित किया गया है :

समूह अ	समूह ब	समूह स
Financial Accounting (Major Core own Faculty)	Business Regulatory Frame work (Major Core own Faculty)	Business Organization & Management
		Business Communication (Major Elective per own faculty/other faculty)

वाणिज्य संकाय में प्रवेशरत विद्यार्थी समूह अ, ब, स को मेजर कोर की तरह चयनित करेगा। विद्यार्थी दो मेजर कोर वाणिज्य संकाय से लेने के पश्चात् तीसरे मेजर इलेक्टिव का चयन वाणिज्य संकाय के समूह स से अथवा अन्य संकाय से कर सकता है।

5. कौशल विकास पाठ्यक्रम

कौशल विकास / रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विश्वविद्यालय परिसर / महाविद्यालय स्तर पर उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 1196 / XXIV-C-4 / 2021–01(06) / 2019, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।

स्नातक सतर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक–एक कौशल विकास कोर्स 12(3x4) क्रेडिट के चा पाठ्यक्रम के साथ पूर्ण करना होगा।

परिसर/महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता होगी।

6. सह–पाठ्यक्रम

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक–एक सह–पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा।

6.2 विद्यार्थी को हर सह–पाठ्यक्रम को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6.3 ये छह पाठ्यक्रम सेमेस्टर अनुसार निम्नवत् होंगे :

प्रथम सेमेस्टर	:	संपर्क व्यवहार कौशल
द्वितीय सेमेस्टर	:	पर्यावरण् अध्ययन एवं मूल्य शिक्षा
तृतीय सेमेस्टर	:	श्री मद भगवत गीता में प्रबन्धन प्रतिमान
चतुर्थ सेमेस्टर	:	वैदिक विज्ञान/वैदिक गणित
पंचम सेमेस्टर	:	ध्यान/राम चरित मानस के अनुप्रयुक्त दर्शन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास
षष्ठम सेमेस्टर	:	भारतीय पारंपरिक ज्ञान का सार/विवेकानन्द अध्ययन

7. शोध परियोजना

7.1 स्नातक/स्नातकोत्तर (पी.जी.डी.आर.) स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारहवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी।

7.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एक चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना Interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

7.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

7.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबन्ध Report / Dissertation जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

7.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

7.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी. जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

8.3 क्रेडिट संबंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ''ऐकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट'' के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि–क्रेडिट (Re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (4646) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

8.5 यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य (Major) विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

8.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B-L-E) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (Re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि–क्रेडिट (Re-credit) किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

9. स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी की दिशा–निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉईंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉईंट
O	Outstanding	91 - 100	10
A+	Excellent	81 - 90	9
A	Very Good	71 - 80	8
B+	Good	61 - 70	7
B	Above Average	51 - 60	6
C	Average	41 - 50	5
P	Pass	33 - 40	4
F	Fail	0 - 32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

10. उत्तीर्णता प्रतिशत

10.1 Qualifying पेपर्स में qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not-qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

10.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit Course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

10.3 छः सह पाठ्यक्रम कोर्स Co-curricular Course तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) qualifying है तथा इनके उत्तीर्ण अंक 40 प्रतिशत होंगे।

10.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

10.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

10.6 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

10.7 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

10.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेंगे।

11. कक्षौन्नोति (Promotion)

11.1 विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

11.2 सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात् वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्ष (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माईनर/स्किल इत्यादि) पेपर तथा Qualifying Papers (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेडिट्स उत्तीर्ण कर लिये हों।

11.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

12. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

12.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार परीक्षा (Improvement) नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर के संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

12.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (Even) सेमेस्टर के पेपर के लिए विषम (Odd) सेमेस्टर में ही उपलब्ध होगी।

12.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

12.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर के लिए ही उपलब्ध होगी।

13. काल अवधि

13.1 किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) : यदि विद्यार्थी सततता में तीन वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

14. SGPA एवं CGPA की गणना

14.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत् सूत्रों से की जाएगी :

SGPA के लिए SGPA (Sj) Σ = (Ci x Gi)/ΣCi	यहाँ पर Ci = number of credits of ith course in jth semester Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester
CGPA = Σ(Cj x Sj)/ΣCj	यहाँ पर Sj = SGPA of the semester Cj = total number of credits in the jth semester

4.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

विद्यार्थियों को निम्नवत् सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

उपस्थिति एवं क्रेडिट निर्धारण

क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। **परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।**

यदि किसी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है परन्तु किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।

प्रवेश नियमावली एवं समय सारणी

विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए शासनादेश के अनुरूप तैयार करना सुनिश्चित करेगा। समय सारणी निर्मित करते समय यह सुनिशिचित किया जाना समीचीन होगा कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सके।

शिक्षण कार्य एवं प्रक्रिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत परिसर एवं महाविद्यालयों द्वारा क्षेत्र में न्यूनतम 90 कार्य दिवसों अर्थात 15 सप्ताह का शिक्षण कार्य कराना अनिवार्य होगा।

★★★★

प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश
(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

अध्याय–1 साधारण नियम :–

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अंतर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन/ऑफ लाइन (On Line/Off Line) पद्धति से प्रवेश संबंधित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। On Line/Off Line प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के On Line/Off Line प्रवेश आवेदनों के आधार पर अन्तिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी तथा काउसलिंग के उपरान्त परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line/Off Line प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1.4 On Line/Off Line माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑन लाइन/ऑफ लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय–परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप से प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी/समिति युक्ति संगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचियत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 प्रवेशरत किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1.	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशित
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट – स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा –

1.	महिलायें	30 प्रतिशत
2.	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
3.	दिव्यांग	04 प्रतिशत
4.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला / व्यक्ति जिस वर्ग का होगी / होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days

(ii) Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Waiving off domicile requirements.

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा –

(क)	एन0सी0सी0 'बी', 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख)	राष्ट्रीय सेवा योजना के अर्न्तगत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
(ग)	प्रतिरक्षा सेनाओं के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई / बहन	20 अंक
(घ)	जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई बहन	20 अंक
(ङ)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च)	अन्तर–विश्वविद्यालय / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ)	शासन द्वारा / खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज)	राज्य / अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ)	अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ञ)	अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्तया प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
(ट)	जिला शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला / मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक

(ठ) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर / महाविद्यालय / संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर — 15 अंक

नोट – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा।

उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारित हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय / संकाय / महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय / संकाय / महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.15 (क) स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु –

प्रवेश नियमों के अंतर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त–

1. अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधाार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (शैक्षणिक अवरोध की दशा में योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे)।
2. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

   व्याख्या (Explanation) : यदि विद्यार्थी सततता में तीन वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी एक वर्ष का सर्टिफिकेट / डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।
3. भविष्य में यू0जी0सी0 अथवा एन0एच0ई0क्यू0एफ0 के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

1.16 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौली, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध महाविद्यालयों / परिसरों / संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं / पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थित में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.17 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष / प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्थाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जोकि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुल सचिव
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल

★★★★

वार्षिक शुल्क कला संकाय–स्नातक

A : Maintenance Fees

क.सं.	विवरण	शुल्क (रू0)
1	शिक्षण शुल्क	---
2	प्रवेश शुल्क	10
3	महंगाई शुल्क	144
4	विकास शुल्क	100
5	पंखा शुल्क	50
6	पुस्तकालय शुल्क	100
7	विविध शुल्क	100
8	प्रसाधन शुल्क	50
9	कम्प्यूटर इण्टरनेट शुल्क	70
10	जनरेटर/इन्वर्टर शुल्क	50
11	कला शुल्क (केवल चित्रकला विषय वाली छात्राओं हेतु)	180
योग (A)		**854**
	B : Girls Fund	
12	क्रीड़ा शुल्क	360
13	निर्धन छात्रा शुल्क	20
14	छात्रा कल्याण शुल्क	20
15	वाचनालय शुल्क	20
16	परिचय–पत्र शुल्क	40
17	पत्रिका शुल्क	80
18	सेशनल परीक्षा शुल्क	50
19	सांस्कृतिक शुल्क	100
योग (B)		**690**
कुल योग (A+B)		**1544**

नोटः–

1. विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा बढ़ाया गया शुल्क देय होगा।
2. परीक्षा शुल्क/(नामांकन शुल्क केवल प्रथम वर्ष की छात्रा हेतु) छात्राओं द्वारा एस0बी0आई0 कलेक्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में आनलाईन जमा करना होगा।
3. प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) प्राप्त करने के लिए सीधे विश्वविद्यालय से सम्पर्क करना होगा।
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) व चरित्र प्रमाण पत्र (CC) का शुल्क 50–50 रूपये देना होगा।

वार्षिक शुल्क विज्ञान संकाय–स्नातक (स्ववित्त पोषित)

A : Maintenance Fees

क्र.सं.	विवरण	गणित वर्ग			जीव विज्ञान वर्ग		
		बी0एससी0 प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर शुल्क	बी0एससी0 तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर शुल्क	बी0एससी0 पंचम/षष्ठम सेमेस्टर शुल्क	बी0एससी0 प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर शुल्क	बी0एससी0 तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर शुल्क	बी0एससी0 पंचम/षष्ठम सेमेस्टर शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	8100.00	8100.00	8100.00	8100.00	8100.00	8100.00
2	प्रवेश शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	महंगाई शुल्क	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
4	विकास शुल्क	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
5	पंखा शुल्क	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6	पुस्तकालय शुल्क	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7	प्रयोगशाला शुल्क	1000.00	1000.00	1000.00	1400.00	1400.00	1400.00
8	प्रयोगशाला ब्रैकेज शुल्क	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
9	आन्तरिक परीक्षा शुल्क	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
योग (A)		**12440.00**	**12440.00**	**12440.00**	**12840.00**	**12840.00**	**12840.00**
	B : Girls Fund						
10	क्रीड़ा शुल्क	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
11	निर्धन छात्रा शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
12	छात्रा कल्याण शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
13	वाचनालय शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
14	परिचय–पत्र शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
15	पत्रिका शुल्क	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
16	सांस्कृतिक शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
योग (B)		**740.00**	**740.00**	**740.00**	**740.00**	**740.00**	**740.00**
कुल योग (A+B)		**13180.00**	**13180.00**	**13180.00**	**13580.00**	**13580.00**	**13580.00**

नोट :

1. समस्त छात्राओं को परीक्षा शुल्क तथा प्रथम वर्ष की छात्राओं को नामांकन शुल्क/पंजीकरण शुल्क एस0बी0आई0 कलेक्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में छात्राएं स्वंय आनलाईन जमा करेंगी।
2. बी.एस.सी. (सत्र 2018–19) की छात्राओं को कम्प्यूटर सांइस विषय के लिए रू0 3500 एवं **सूक्ष्म जीव विज्ञान** विषय के लिए रू0 3000 अतिरिक्त मान्य शुल्क देना होगा।
3. **प्रवजन प्रमाण–पत्र** (Migration Certificate) प्राप्त करने के लिए सीधे विश्वविद्यालय से सम्पर्क करना होगा।
4. फीस रसीद व परिचय पत्र दोबारा बनवाने पर 75/– रूपये शुल्क देना होगा।

कला संकाय स्नातकोत्तर (स्ववित्त पोषित)

स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिशास्त्र प्रथम वर्ष के लिए रू0 8100.00	चित्रकला प्रथम वर्ष के लिए रू0 16000.00 (रू0 8000 व रू0 8000 प्रति सेमेस्टर)
स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिशास्त्र द्वितीय वर्ष के लिए रू0 8100.00	चित्रकला द्वितीय वर्ष के लिए रू0 16000.00
(परीक्षा शुल्क अतिरिक्त देय होगा)	**(परीक्षा शुल्क अतिरिक्त देय होगा)**

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें

- स्वच्छ एवम् हरियाली युक्त वातावरण में स्थित महाविद्यालय परिसर।
- पठन–पाठन हेतु हवादार एवम् प्रकाशयुक्त व्याख्यान कक्ष।
- 25 हजार पुस्तकों, विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं शोध पत्रिकाओं युक्त समृद्ध पुस्तकालय।
- समस्त सुविधायुक्त विज्ञान प्रयोगशालायें।
- आधुनिक दृश्य–श्रव्य (Audio-Visual) उपकरणों से युक्त व्याख्यान कक्ष।
- नवीनतम कम्प्यूटर एवं इंटरनेट सुविधा।
- स्वच्छ जल हेतु वाटर कूलर की सुविधा।
- स्वच्छ पेयजल एवं कैन्टीन सुविधा।
- विद्युत आपूर्ति हेतु 25 KVA क्षमता का जैनरेटर।
- फोटो स्टेट मशीन की सुविधा।

★★★★

सामान्य नियम

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण एवं उच्च स्थान रखता है। **महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएँ इस संस्था के सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतिनिधि हैं।** अतः संस्था के बाहर एवं अन्दर उनका व्यवहार संस्था की गरिमा के अनुकूल होना चाहिये। महाविद्यालय की सुव्यवस्था और उसके आदर्शों के निर्वाह हेतु कुछ बातें याद रखनी अपेक्षित हैं –

- एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय अथवा पीरियड आरम्भ होने के 3 मिनट के अन्दर सब छात्राएँ अपनी–अपनी कक्षाओं में बैठें, जो छात्रायें Free है वे पुस्तकालय में जायें अथवा उनके लिये जो स्थान नियत किया गया है, वहीं बैठे।
- कक्षा के सामने, कार्यालय के सामने अथवा मेन गेट के सामने घूमने या झुण्ड बनाकर बात करने से विघ्न पहुँचता है, अतः छात्रायें इन स्थानों पर बिल्कुल भी खड़ी न हो यदि कोई छात्रा इन स्थानों पर खड़ी या बातें करती पाई गई तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- छात्राओं का यह निजी उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रतिदिन नोटिस बोर्ड पर लगे हुए नोटिस को पढ़कर जायें यदि कोई छात्रा नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ती और मांगी सूचना नियत तिथि पर नहीं देगी तो इसकी हानि का उत्तरदायित्व छात्रा का होगा। अगर छात्राएँ प्राचार्या अथवा प्रोक्टर की अनुमति के बिना नोटिस बोर्ड पर कोई भी नोटिस लिखेंगी तो उन्हें दण्डित किया जायेगा।
- छात्राओं के लिए राष्ट्रीय पर्वों पर महाविद्यालय में उपस्थित होना अपेक्षित है।

- छात्रायें परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगी। महाविद्यालय के बाहर भी छात्रायें पूर्ण शिष्टता का व्यवहार करेंगी। यदि उन्हें महाविद्यालय समय में अनुचित स्थानों पर घूमते, अभद्रता का व्यवहार करते या कोई अशोभनीय कार्य करते देखा गया तो उन्हें महाविद्यालय से सस्पेंड कर दिया जायेगा।
- यदि छात्रायें महाविद्यालय में कोई रचनात्मक कार्य करना चाहती है तो उन्हें दक्ष प्राध्यापिकाओं द्वारा मार्ग दर्शित किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक कार्य प्राचार्या की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
- छात्राओं को चाहिए कि कालेज से सीधा घर जायें और घर से सीधी कालेज में आयें। यदि कोई छात्रा कालेज आती है और कालेज आकर किसी विषय का पीरियड अटैण्ड नहीं करती तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- यदि छात्राओं से उनके भाई, चाचा या कोई पुरूष सम्बंधी विशेष कारण से मिलने आये तो वो प्राचार्या की अनुमति से ही मिल सकेंगे अन्यथा नहीं।
- शैक्षिक योग्यता के साथ सादगी के गुण और उत्तम विचारों की जागृति की ओर पूर्ण ध्यान दें।
- ऊपर की मंजिल पर खड़े होकर नीचे की मंजिल पर बात करना वर्जित है। अन्तिम मंजिल की छत पर चढ़ना भी वर्जित है।
- छात्रा/अभिभावक कोई भी जानकारी सीधे कार्यालय में अथवा नोटिस बोर्ड पर ही देखें। फोन द्वारा सूचना प्राप्त न करें।
- छात्राओं को प्रत्येक सेमेस्टर में होने वाली आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अत्यन्त आवश्यक है। चिकित्सा सम्बन्धी अथवा अन्य अपिरहार्य स्थिति में सम्यक प्रमाण पत्र सहित महाविघालय को पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
- उच्च शिक्षा निदेशालय प्राप्त निर्देशानुसार तथा वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ते डिजिटलीकरण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के द्वारा विविध दिशा–निर्देश ऑन लाइन माध्यमों से भी प्रेषित किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम का कुछ अंश ऑन लाइन कक्षाओं द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। अतः छात्राएं ऑन लाइन उपलब्धता हेतु उपर्युक्त साधन अपने पास रखें।
- छात्रा प्रवेश फार्म में अपना स्थाई फोन नं० दें। नम्बर परिवर्तित होने पर तत्काल कार्यालय को सूचित करें। इसके अतिरिक्त अभिभावक का नंबर तथा एक अतिरिक्त नंबर भी दें जिससे किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में संपर्क किया जा सके।
- महाविद्यालय परिसर से बाहर के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता हेतु अभिभावक का अनुमति–पत्र अनिवार्य है।

अनुशासन

महाविद्यालय में अनुशासन की व्यवस्था अनुशासन समिति के तत्वावधान में की जाती है। मुख्य अनुशासन अधिकारी (चीफ प्रॉक्टर) व प्रॉक्टर्स तथा प्रीफैक्ट वर्ग से मनोनीत प्रीफैक्ट सामूहिक रूप से इस दायित्व का निर्वहन करेंगे। छात्राएँ कक्षाओं के उपरान्त ही महाविद्यालय परिसर से बाहर जा सकेगी। अनुशासन–समिति को अनुशासन भंग करने की दोषी छात्राओं को दण्डित करने का पूर्ण अधिकार है। सभी छात्राओं से आशा की जाती है कि अपनी गौरवशाली परम्परा का निर्वहन करते हुए संस्था में अनुशासन तथा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगी।

यूनिफार्म

छात्राओं को महाविद्यालय की यूनिफार्म श्वेत वस्त्र में आना अनिवार्य है अन्य परिधान पहनने की अनुमति नहीं है। भारतीय नारी की गरिमा के अनुरूप परिधान बनवायें। सलवार कुर्ते के साथ जैकेट (बी०ए०–महरून, बी०एससी०–गहरा हरा, एम०ए०–गहरा नीला) अनिवार्य है। सर्दियों में काला स्वेटर/कोट पहनें।

वाहन पार्किंग

छात्राएं परिसर में साइकिल लेकर आ सकती हैं। अन्य वाहन (स्कूटी/मोटर चालित वाहन) अनुमन्य नहीं होंगे। छात्राएं साइकिल नियत स्थान/स्टैण्ड पर ही खड़ी करें। अन्यत्र खड़े वाहनों के खोने या अन्य प्रकार के भी नुकसान के लिए महाविद्यालय किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने हेतु दण्डित किया जा सकता है।

उपस्थिति नियम

शासनादेश संख्या 528(1)15–(उ0शि0) 71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्रा विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगी जब तक कि वह व्याख्यान और टयुटोरियल कक्षाओं में पृथक–पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करती। विज्ञान के विषयों अथवा ऐसे अन्य विषयों में जिनमें प्रयोगात्मक कक्षायें होती हैं, प्रयोगात्मक कक्षाओं में प्रयोगात्मक कार्य की अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित होगी।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में, व्याख्यान और सेमिनार/प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक–पृथक 6 प्रतिशत तक की छूट संकायाध्यक्ष/डीन/प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिन के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर लिया हो। या

   (ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष स्थिति में समुचित कारण देने पर।

2. विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर स्नातक छात्र को विशेष अध्ययन के निमित्त किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान तथा उच्च अध्ययन के लिये किसी केन्द्र में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य के लिये कुलपति द्वारा 6 सप्ताह तक की अवधि की अनुमति दिये जाने पर कुलपति द्वारा उपस्थिति न्यूनता का मार्जन किया जा सकेगा। इसके लिये विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति सूचित करने के एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थी को उस संस्थान के, जहाँ उस विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, अध्ययन कक्षाओं में उपस्थिति, प्रयोगात्मक कार्य, पुस्तकालय में कार्य करने की तिथियों के निर्देश सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन0सी0सी0 शिविर, खेलकूद के समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता मार्जन कर दिया जायेगा बशर्ते सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।

नोटः– सभी पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने के तिथि से गिनी जायेगी।

आचार संहिता

- छात्राओं का ऐसा व्यवहार जो कि महाविद्यालय में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रशासनिक व्यवस्था अथवा अन्य गतिविधियों को बाधित करेगा, दण्डनीय होगा।
- छात्राएँ महाविद्यालय में किसी के साथ भेदभावमूलक (धर्म/लिंग/जाति/वंश/नस्ल) शारीरिक अथवा शाब्दिक दुर्व्यवहार नहीं करेगी।
- छात्राओं द्वारा महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से क्षति पहुँचाना दण्डनीय अपराध होगा।
- आई कार्ड के बिना महाविद्यालय में छात्राओं का प्रवेश वर्जित होगा। आई कार्ड में भी सभी सूचनाएँ पूर्ण रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।
- महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के हानिकारक केमिकल, हथियार, प्रतिबन्धित दवाएँ, पटाखे, विध्वंसकारी सामान आदि लाना सख्त प्रतिबन्धित है।
- छात्राएँ बिना प्राध्यापिका की अनुमति के मोबाइल द्वारा कक्षा व्याख्यान की ओडियो या वीडियो रिकार्डिंग नहीं करेगी।
- छात्राएँ सोशल मीडिया का प्रयोग महाविद्यालय की साख को क्षति पहुँचाने हेतु नहीं करेंगी। महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की झूठी अफवाहें न फैलायें।
- परीक्षाओं के दौरान छात्राएँ किसी भी प्रकार की नकल सामग्री (पुस्तक, लिखित सामग्री, इलेक्ट्रानिक डिवाइस इत्यादि) का प्रयोग नहीं करेंगी। साथ ही अन्य छात्राओं के असाइनमेन्ट रिपोर्ट, शोध कार्य प्रस्तुतीकरण आदि का दुरूपयोग नहीं करेंगी।
- परीक्षाओं में छात्राओं द्वारा अन्य छात्रा के साथ अपनी कॉपी, प्रश्नपत्र आदि बदलने पर तथा किसी अन्य छात्रा के एडमिट कार्ड पर स्वयं परीक्षा देते हुए पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
- फर्जी/अवैधानिक तरीके से प्रश्नपत्र प्राप्त करने तथा दिये गये अंकों से छेड़छाड़ करना दण्डनीय होगा।
- छात्राओं के रैगिंग से सम्बन्धित गतिविधियों (अशिष्टता, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक क्षति, भय, वित्तीय वसूली, शारीरिक यातना, धमकी देना इत्यादि) में संलिप्त पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- छात्राएँ किसी भी प्रकार की रैगिंग की घटना को देखते हुए तुरन्त महाविद्यालय की एन्टी रैगिंग सेल को सूचित करें।
- छात्राएँ रैगिंग के अन्तर्गत प्रतिबन्धित व्यवहार तथा गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर दण्ड के प्रावधान की विस्तारपूर्वक जानकारी हेतुं महाविद्यालय की वेबसाइट https://ssdpcroorkee.org/ssdpc/code-of-conduct पर विजिट करें।

★★★★

अभिभावक कृपया ध्यान दें

इस विवरणिका में महाविद्यालय व प्रवेश सम्बन्धी सूचनायें दी गई हैं। अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रा के फार्म भरने से पूर्व समस्त निर्देशों व सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।

निम्नांकित का विशेष ध्यान दें-

- बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अपनी छात्राएं पाठ्य विषयों का चयन सोच समझकर करवायें। **एक बार चयन किये गये विषय में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।**
- प्रवेश फार्म छात्रा स्वयं भरे तथा सावधानीपूर्ण स्वयं चैक करके ही फार्म जमा करें। फार्म अधूरा होने पर छात्रा के प्रवेश का उत्तरदायी, महाविद्यालय नहीं होगा।
- बैंक फीस स्लिप को सँभाल कर रखें। छात्रा को परीक्षा का प्रवेश–पत्र प्राप्त करते समय यह स्लिप दिखानी होगी।
- छात्रा महाविद्यालय की यूनिफार्म में ही महाविद्यालय आयें।
- व्याख्यान कक्ष/परीक्षा कक्ष में यूनिफार्म–कोड का पूर्ण रूपेण पालन आवश्यक है तथा हैडस्कार्फ आदि धारण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- छात्राओं द्वारा मोबाईल का प्रयोग शिक्षिका की अनुमति से एकेडमिक कार्यों हेतु ही अनुमन्य है। मोबाईल की सुरक्षा छात्रा की जिम्मेदारी होगी।
- परिसर में मोबाइल का अनुचित प्रयोग करते पाये जाने पर छात्रा का मोबाइल जब्त कर लिया जायेगा और अभिभावक को ही सौंपा जायेगा। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही/आर्थिक दण्ड का भी अधिकार होगा।
- प्रवेश के लिए छात्रा स्वयं आये। अभिभावकों को छात्रा के प्रवेश के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रवेश कक्ष में आने की अनुमति नहीं है।
- यदि छात्रा को कोई बीमारी है तो अभिभावक महाविद्यालय प्रशासन को आवश्यक उपायों सहित लिखित सूचना दे तथा चिकित्सक द्वारा बताई दवा छात्रा के पास उपलब्ध करवायें।
- प्रत्येक सेमेस्टर में आयोजित शिक्षक अभिभावक (Parents Teachers Meet) की बैठक में भाग लेकर अपनी पुत्री की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी अवश्य लें।
- अभिभावक प्राचार्या से निम्नलिखित दिन तथा समय पर मिल सकेंगे :–

  मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार, समय : प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक

★★★★

पाठयेत्तर विकासोन्मुखी गतिविधियाँ

शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ :

छात्राओं के बहुमुखी विकास एवं उन्हें समसामयिक विषयों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से महाविद्यालय में विषय–परिषद एवं समितियाँ गठित हैं जिनके द्वारा वर्ष पर्यन्त अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है यथाः–

- वाद–विवाद, विचार प्रस्तुति एवं निबन्ध लेखन प्रतियोगिता।
- कार्यशाला सेमिनार, परियोजना–कार्य एवं पाठ्येत्तर कोर्सेज।
- चित्र एवं हस्तकला कौशल आधारित प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी।
- सांस्कृतिक गतिविधियाँ – नृत्य, गायन एवं नाट्य प्रस्तुतियाँ।
- विभिन्न सामयिक मुद्दों/विषय आधारित अतिथि व्याख्यान।

खेलकूद प्रतियोगिताएँ :

''स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है'' इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए छात्राओं के सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु महाविद्यालय में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं यथा –

- वार्षिक खेलकूद स्पर्द्धाओं का आयोजन (इन्डोर तथा आउटडोर)
- अंतर्महाविद्यालयी एवं राज्य/राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहन एवं सहायता।
- आत्मरक्षा हेतु ताइक्वांडों प्रशिक्षण
- योगाभ्यास प्रशिक्षण

राष्ट्रीय सेवा योजना :

राष्ट्रीय सेवा हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई कार्यरत है जिसमें 100 छात्रायें पंजीकृत की जाती है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण, पोलियो उन्मूलन, एड्स जनजागरण, रक्तदान, मद्य निषेध, साक्षरता आदि राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए सक्रिय है।

इस योजना में केवल बी0ए0/बी0एससी0 प्रथम व द्वितीय वर्ष की छात्राएँ प्रवेश ले सकती है प्रवेशार्थी को प्रवेश के समय ही रा0से0यो0 में अपना नाम पंजीकृत करना होता है। द्वितीय वर्ष के लिए पुनः पंजीकरण कराना होगा। इसके लिये प्रवेशार्थी नोटिस बोर्ड पर सम्बंधित सूचनाएँ नियमित रूप से देखें और कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क करें।

इस योजना के मुख्य रूप से दो कार्यक्रम हैं :–

1. नियमित कार्यक्रम
2. सात दिवसीय दिन रात का विशेष शिविर कार्यक्रम

रा0से0यो0 में पंजीकृत छात्राओं को लगातार दो वर्षो में नियमित कार्यक्रम के रूप में 240 घण्टे एवं सात दिवसीय शिविर पूर्ण करने पर ही स्वयं सेवक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा। रा0से0यो0 के 'बी' एवं 'सी' प्रमाण–पत्र के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार अलग से परीक्षा देनी होगी।

पुस्तकालय –

पुस्तकालय किसी भी संस्था का प्राण एवं उसकी महत्ता का द्योतक होता है महाविद्यालय में छात्राओं के लिये एक वृहद एवं सम्पन्न पुस्तकालय है। छात्राओं से आशा की जाती है कि वे नियमित रूप से पुस्तकालय में बैठकर अधिकाधिक ज्ञानोपार्जन करें।

प्रवेश के समय ही प्रत्येक छात्रा को लाइब्रेरी कार्ड issue किया जायेगा। छात्राओं को पूरे वर्ष उनके नियत दिवसों पर पुस्तकें ली तथा दी जायेंगी। पुस्तकालय में पढ़ने के लिये पुस्तक लाइब्रेरी कार्ड जमा करने पर ही दी जायेगी।

छात्राएँ पुस्तकालय में आवश्यक रूप से शांति बनाये रखे प्रत्येक छात्रा पुस्तकालयाध्यक्षा की आज्ञा एवं पुस्तकालय के नियमों का पालन करते हुये अनुशासन बनाये रखेगी। पुस्तकालय में पुस्तक लेकर जाना वर्जित होगा। **यदि छात्राएँ निर्दिष्ट तिथि पर पुस्तक नहीं लौटाएगी तो उन्हें निर्दिष्ट तिथि से प्रतिदिन निर्धारित अर्थदण्ड देना होगा।**

पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त शोध पत्रिकाएं समसामयिक पत्रिकाएं, लघु शोध प्रबंध, इन्साइक्लोपीडिया, सी0डी0 व अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध हैं।

बुक बैंक

प्राध्यापिका वर्ग एवं भूतपूर्व छात्राओं द्वारा प्रदत्त पुस्तकों से स्थापित बुक बैंक विभिन्न विषयों की पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर निर्धन छात्राओं को पूरे सत्र के लिए अध्ययन हेतु पाठ्य पुस्तक प्रदान करता है।

महाविद्यालय वार्षिक पत्रिका

महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका अपराजिता प्रकाशित की जाती है जिसमें महाविद्यालय की प्रगति आख्या के साथ अध्ययनरत् छात्राओं एवं शिक्षक वर्ग के मूललेख , कविता, कहानी इत्यादि का संकलन होता है।

कैरियर एवं गाइडेन्स

छात्राओं के भविष्य के उन्नयन हेतु महाविद्यालय में कैरियर गाइडेन्स सेल वर्षपर्यन्त क्रियाशील रहता है। जिसके अर्न्तगत कैरियर काउंसलिंगके साथ–साथ कैरियर संबंधी विविध व्याख्यानों, कार्यशालाओं, पाठयक्र मों इत्यादि का संचालन किया जाता है।

शिकायत निवारण

छात्राओं की विभिन्न शैक्षिक, व्यक्तिगत व अन्य समस्याओं के निवारण हेतु महाविद्यालय में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके सुचारु क्रियान्वयन हेतु पुस्तकालय में एक सुझाव पेटिका रखी गयी है, जिसके माध्यम से छात्राएँ अपनी विभिन्न समस्याएं एवं सुझाव प्रेषित कर सकती है।

छात्रा कल्याण समिति

छात्राओं की सहायता के लिए छात्र कल्याण योजनाएं जैसे छात्रवृत्तियाँ, बुक बैंक, यूनीफार्म बैंक इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। समय–समय पर छात्राओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है। शहर के दूरस्थ स्थानों से आने वाली छात्राओं के लिए बस–पास की सुविधा नियमानुसार प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्तियों का विवरण इस प्रकार हैः–

सरकारी छात्रवृत्तियाँ

- समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ०बी०सी० छात्रवृत्ति हेतु निम्न प्रमाण पत्र देने होंगे। (जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति एवं आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति), अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, अन्य छात्रवृत्तियाँ (राष्ट्रीय एवं विभागीय) विभाग प्राप्त करने हेतु

छात्राएँ ऑन लाईन आवेदन कर सकती हैं। सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों हेतु निर्धारित समय सीमा में छात्राओं को आवेदन करना अनिवार्य है। (www.escholarship.uk.gov.in)

निर्धन छात्रा कोष

- निर्धन छात्रा कोष से प्रति वर्ष छात्राओं को आर्थिक सहायता नियमानुसार वितरित की जाती हैं। इच्छुक छात्राएँ नोटिस बोर्ड पर लगी सूचनानुसार आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन कर सकती हैं। छात्रा कल्याण समिति के माध्यम से छात्राएं स्वेटर, ड्रेस आदि के लिए भी आवेदन कर सकती हैं।

अन्य छात्रवृत्तियाँ

- **स्वयंसिद्धा** – छात्र कल्याण समिति के प्रयासों से आर्थिक दृष्टि से कमजोर किन्तु मेधावी छात्राओं हेतु स्वयंसिद्धा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- **व्यक्तिगत दानदाता** – बालिका शिक्षा को अनवरत जारी रखने हेतु व्यक्तिगत दानदाताओं द्वारा छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

नोट : किसी भी छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता हेतु छात्रा की महाविद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड अनिवार्य है।

★★★★

शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर वर्ग

प्राचार्या - डा0 अनुपमा गर्ग

प्रवक्ता सूची

कला संकाय स्नातक

1.	डॉ0 अनुपमा गर्ग	प्रोफेसर, अंग्रेजी	8.	पद रिक्त	संस्कृत
2.	डॉ0 अलका आर्य	प्रोफेसर, चित्रकला	9.	पद रिक्त	राजनीति विज्ञान
3.	डॉ0 भारती शर्मा	एसो0 प्रोफेसर, अंग्रेजी	10.	पद रिक्त	हिन्दी
4.	डॉ0 कामना जैन	एसो0 प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान	11.	पद रिक्त	हिन्दी
5.	डॉ0 किरन बाला	एसो0 प्रोफेसर, समाजशास्त्र	12.	पद रिक्त	अर्थशास्त्र
6.	डॉ0 अर्चना चौहान	सीनियर असि0 प्रोफेसर, चित्रकला			
7.	श्रीमती अंजलि प्रसाद	सीनियर असि0 प्रोफेसर, समाजशास्त्र			

नोट– प्रबंधकीय व्यवस्था के अन्तर्गत डा0 सीमा राय (हिन्दी), श्रीमती गीता बंसल (संस्कृत), श्रीमती सुमन टांक (हिन्दी), सुश्री शिल्पा (अर्थशास्त्र), श्रीमती अंकन शर्मा (सामान्य पाठ्यक्रम) शिक्षण सत्र में अस्थायी रूप से कार्यरत रहीं।

विज्ञान संकाय स्नातक - स्ववित्तपोषित

1.	डॉ0 असमा सिद्दकी	–	वनस्पति विज्ञान	9.	श्रीमती पल्लवी सिंह	–	रसायन विज्ञान
2.	डॉ0 उमा रानी	–	वनस्पति विज्ञान	10.	सुश्री नीशू नामदेव	–	रसायन विज्ञान
3.	डॉ0 दीपिका आर्या	–	जन्तु विज्ञान	11.	श्रीमती हिमानी त्यागी	–	रसायन विज्ञान
4.	सुश्री गरिमा	–	जन्तु विज्ञान	12.	डॉ0 पारुल चड्ढा	–	गणित
5.	श्रीमती शैली सिंघल	–	कम्प्यूटर साइंस	13.	सुश्री शीतल सैनी	–	गणित
6.	श्रीमती दीप्ति नागपाल	–	कम्प्यूटर साइंस	14.	सुश्री हिमांशी	–	सूक्ष्म–जीव विज्ञान
7.	डॉ0 ज्योतिका	–	भौतिक विज्ञान	15.	सुश्री अपूर्वा	–	सूक्ष्म–जीव विज्ञान
8.	सुश्री तेजल नामदेव	–	भौतिक विज्ञान				

चित्र एवं रंजनकला स्नातकोत्तर - स्ववित्तपोषित

1. सुश्री आंचल 2. सुश्री वैशाली 3. डॉ0 स्वर्णलता मिश्रा (अतिथि प्रवक्ता)

राजनीति विज्ञान स्नातकोत्तर - स्ववित्तपोषित

1. डॉ0 शालिनी वर्मा 2. डॉ0 रूचि गहलोत

कार्यालय

नियमित

1.	तीन पद रिक्त	–	नैत्यिक लिपिक
2.	पद रिक्त	–	पुस्तकालयाध्यक्षा
3.	पद रिक्त	–	कार्यालय अधीक्षक
4.	पद रिक्त	–	पुस्तकालय लिपिक

स्ववित्तपोषित

1.	श्री राकेश कुमार	–	वरिष्ठ लिपिक
2.	श्री निशांत पंडित	–	कार्यालय लिपिक
3.	श्रीमति प्रीति शर्मा	–	पुस्तकालय लिपिक
4.	श्री अजय अविनाश	–	कम्प्यूटर ऑपरेटर
5.	श्रीमती मुक्ता रानी	–	पुस्तकालय लिपिक
6.	श्री वरुण अग्रवाल	–	कार्यालय सहायक

प्रयोगशाला सहायक, स्ववित्तपोषित

1.	श्री विनोद कुमार	– वनस्पति विज्ञान	2. श्री शिव मंगल वर्मा – जन्तु विज्ञान
3.	श्री संदीप भटनागर	– रसायन विज्ञान	4. श्रीमती नीतू तायल – कम्प्यूटर विज्ञान
5.	श्री अनिल दुआ	– भौतिक विज्ञान	

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

नियमित

1	श्री रविन्द्र कुमार	2. श्री रामराज शर्मा
3.	श्री पंकज कुमार	4. श्री तीरथ पाल
5.	श्री आशीष बिरला	6. श्रीमती शुभलेश
7.	श्री उमेश कुमार	8. श्री राजेश कुमार

प्रयोगशाला परिचर (स्ववित्तपोषित)

1.	श्री अमन कुमार	2. श्री तेलूराम
3.	श्री मुकेश कुमार	4. श्री शगुन
5.	श्री गगन अरोड़ा	6. श्री सत्यप्रकाश

COMMITTEE INCHARGE LIST 2023-24

Dr. Alka Arya

1. Academic and Administration Audit Committee
2. Exam Committee
3. Magazine Committee
4. Report- Social Media / Website Committee
5. Time Table Committee

Dr. Bharati Sharma

1. Internal Quality Assurance Cell (IQAC)
2. Research Journal Committee
3. Discipline Committee
4. Vistaar Prakoshtha
5. Exam Committee (Member)

Dr. Kamna Jain

1. Admission Committee
2. Student Welfare/Service Center
3. Student Grievance / Safety & Empowerment Cell
4. E-Learning Cell
5. N.S.S.

Dr. Kiran Bala

1. Research/Innovation/Incubation Cell
2. Career and Guidance Cell
3. Games Committee
4. Alumni
5. Magazine Committee (Member)

Dr. Archana Chauhan

1. Cultural Committee
2. Parents Teaching Association
3. Anti Drug Clinic Cell
4. Admission Committee (Member)
5. IQAC (Member)
6. Research Journal Committee (Member)

Mrs. Anjali Prasad

1. SC/ST/OBC Cell
2. Library Committee
3. E-Learning Cell (Member)
4. Discipline Committee (Member)
5. IQAC (Member)
6. Student Service and Welfare Center
7. Student Grievance / Safety & Empowerment Cell

शपथ–पत्र (छात्रा द्वारा)

सक्षमः–

श्रीमान सक्षम महोदय,

शपथ पत्र मिनजानिब – कु0

मैं शपथकर्त्ता निम्न कथन बहलफ बयान करती हूँ कि–

1– यह कि मेरा उपरोक्त लिखित नाम व पता सब सच व सही है।

2– यह कि मैंने रैगिंग निषेध के विधि निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

3– यह कि मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।

4– यह कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊंगी, जो रैंगिंग की परिभाषा के अन्तर्गत आता है।

5– यह कि मैं किसी भी रूप में रैंगिंग में लिप्त नहीं रहूंगी। उसको प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूंगी और मैं किसी को भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूंगी अथवा कोई अर्थ क्षति नहीं पहुंचाऊगी।

.....**ह0 शपथकर्त्ता**

मैं बहलफ बयान करती हूँ कि शपथ पत्र का पैरा नं0 1 से 5 का मजमून मेरे निजी इल्म व यकीन में सब सच व सही है। सच बोलने पर ईश्वर/खुदा मेरी मदद करें।

दिनांक : .....**ह0 शपथकर्त्ता**

शपथ–पत्र (अभिभावक द्वारा)

सक्षमः–

श्रीमान सक्षम महोदय,

शपथ पत्र मिनजानिब –

मैं शपथकर्त्ता निम्न कथन बहलफ बयान करता/करती हूँ कि–

1– यह कि मेरा उपरोक्त लिखित नाम व पता सब सच व सही है।

2– यह कि मैंने रैगिंग निषेध के विधि उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

3– यह कि मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हूँ कि मेरी पुत्री संरक्षित रैंगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगी।

4– यह कि मैं सहमति देता/देती हूँ कि यदि उसे रैंगिंग में लिप्त पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरूद्ध एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाये।

.....**ह0 शपथकर्त्ता**

मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि शपथ पत्र का पैरा नं0 1 से 4 का मजमून मेरे निजी इल्म व यकीन में सब सच व सही है। सच बोलने पर ईश्वर/खुदा मेरी मदद करें।

दिनांक : .....**ह0 शपथकर्त्ता**

S.S.D.P.C GIRLS (P.G.) COLLEGE ROORKEE

IQAC

Vision & Mission

Mission

Vision : To facilitate and provide quality education to girls imbibing moral values, fostering leadership and managerial excellence to serve the nation in the 21st century.

Vision

- **To provide quality education aiming at holistic development of students.**
- **To develop cohesive leadership at all levels so as to provide a vibrant culture sensitive to the needs of society and nation.**
- **To empower girls by enhancing their capabilities and potential through career oriented programs and activities.**
- **To collaborate with educational institutions of repute for exchange and expansion of knowledge.**
- **To provice a safe, healthy and sustainable atmosphere to support teaching-learning and research.**

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रुड़की (हरिद्वार) उत्तराखण्ड

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से समबद्ध

नैक प्रत्यायित CGPA 2.77, B^{++} ग्रेड